रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092021-229839
CG-DL-E-21092021-229839

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3581] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 2021/भाद्र 30, 1943
No. 3581] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2021/BHADRA 30, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2021

का.आ. 3905(अ).—यतः, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (जिसका इसके पश्चात इस अधिनियम के रूप में उल्लेख किया गया है) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) का उप-खंड (i) किसी बैंकिंग कंपनी को ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रबंधित किए जाने पर रोक लगाता है जो किसी ऐसी अन्य कंपनी का निदेशक है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत किसी अन्य बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी या पंजीकृत कंपनी न हो;

और यतः, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उप-खंड (i) के परंतुक में यह उपबंध किया गया है कि उक्त उप-खंड के प्रतिबंध किसी कंपनी के ऐसे निदेशक के संबंध में तीन माह से अनधिक की अस्थायी अवधि अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत्त ऐसी अवधि, जो नौ माह से अधिक न हो, के लिए लागू नहीं होंगे;

और यतः, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री उदय कोटक, प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को उक्त अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों के अंतर्गत आरंभ में तीन माह की अवधि के लिए और तत्पश्चात् नौ माह की अतिरिक्त अवधि के लिए, 2 अक्तूबर, 2019 तक इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक के पद पर बने रहने की अनुमति दी थी;

और यतः, उक्त अधिनियम की धारा 53 भारतीय रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा करने की शक्ति प्रदान करती है कि उक्त अधिनियम के कोई या सभी उपबंध किसी बैंकिंग कंपनी अथवा संस्था अथवा बैंकिंग कंपनी की किसी श्रेणी पर सामान्य रूप से अथवा यथा-निर्दिष्ट किसी ऐसी अवधि के लिए लागू नहीं होंगे;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उप-खंड (i) के लागू होने से छूट प्रदान किए जाने को आवश्यक माना है, जहां तक इसका संबंध श्री उदय कोटक, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में 3 अक्तूबर, 2019 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए गैर-कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त करने से है तथा इस संबंध में 1 अक्तूबर, 2019 को भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित 1 अक्टूबर, 2019 के का.आ. 3584(अ) के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की थी और उक्त छूट को तदनंतर 23 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित 23 सितम्बर, 2020 के का.आ. 3238(अ) के माध्यम से बढ़ाया गया था तथा उक्त के माध्यम से प्रदत्त छूट 2 अक्तूबर, 2021 को समाप्त हो रही है;

और यत: केंद्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को दी गई उक्त छूट को 3 अक्तूबर, 2021 से छ: माह की अवधि के लिए प्रदान करने को आवश्यक माना है।

अतः अब बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उप-खंड (i) के उपबंध कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लागू नहीं होंगे, जहां तक इसका संबंध कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री उदय कोटक के इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में 2 अप्रैल, 2022 तक की अवधि के लिए गैर-कार्यकारी निदेशक के पद पर बने रहने से है।

[फा. सं. 7/129/2019-बीओए-I]

पंकज जैन, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2021

S.O. 3905(E).—Whereas sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) (hereinafter referred to as the said Act) prohibits a banking company to be managed by any person who is a director of any other company not being a subsidiary of the banking company or a company registered under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

And whereas the proviso to the said sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act provides that the prohibition in the said sub-clause shall not apply in respect of any such director for a temporary period not exceeding three months or such further period not exceeding nine months as the Reserve Bank of India may allow;

And whereas the Reserve Bank of India allowed Shri Uday Kotak, Managing Director and Chief Executive Officer of Kotak Mahindra Bank Limited to be on the Board of Infrastructure Leasing and Financial Services Limited as its Non-executive Director, initially for a period of three months and subsequently for a further period of nine months, under the above provisions of the said Act, till the 2nd day of October, 2019;

And whereas section 53 of the said Act empowers the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, to declare, by notification in the Official Gazette, that any or all of the provisions of the said Act shall not apply to any banking company or institution or to any class of banking companies either generally or for such period as may be specified;

And whereas the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, had considered it necessary to grant exemption to Kotak Mahindra Bank Limited from application of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the Banking Regulation Act, 1949 in so far as it relates to its Managing Director and Chief Executive Officer, Shri Uday Kotak being on the Board of Infrastructure Leasing and Financial Services Limited as its Non-executive Director, for a further period of one year with

effect from the 3rd day of October, 2019 and issued a notification number S.O. 3584(E), dated the 1st October, 2019, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 1st October, 2019, to that effect and further extended the exemption for one year by a subsequent notification number S.O. 3238(E), dated the 23rd September, 2020, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 23rd September, 2020, and the exemption so granted is expiring on the 2nd day of October, 2021;

And whereas the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, has considered it necessary to grant the said exemption to Kotak Mahindra Bank Limited for a further period of six months with effect from the 3rd day of October, 2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949, the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to Kotak Mahindra Bank Limited in so far as it relates to its Managing Director and Chief Executive Officer, Shri Uday Kotak being on the Board of Infrastructure Leasing and Financial Services Limited as its Non-executive Director, for a further period up to the 2nd day of April, 2022.

[F. No. 7/129/2019-BOA-I]

PANKAJ JAIN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.21 20:16:36 +05'30'